राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांकः 2/12/2020

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों (बयाना,भुसावर डीग,कामां,कुम्हेर,नदवई,नगर,वैर)के आम चुनाव हेतु मतदान दिवस दिनांक 11.12.2020 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में भी जहां पुर्नमतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुर्नमतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 569 दिनांक 13.11.2020 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक,स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर।
16. जिला कलक्टर, भरतपुर।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप-1,3,4,5,6)विभाग /सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

02/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट

–ः आदेश ः–

जयपुर, दिनांकः 2/12/2020

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत भरतपुर जिले की 8 नगरीय निकाय के आम चुनाव माह नवम्बर– दिसम्बर, 2020 (संलग्न सूची अनुसार) से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। मतदान दिनाक 11.12.2020 को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासो को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सम्बन्धित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

sd

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 564 दिनांक 13.11.2020 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त,भरतपुर।
16. जिला कलक्टर, भरतपुर
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग /सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

2/12/2020

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर 302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

कार्यालय शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय डायरी 4520 दिनांक 20/11/2020

सामान्य प्रशासन (ग्रुप 2) विभाग 251 दिनांक 24/11/2020

क्रमांकः एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/Part III/569 दिनांकः 13/11/2020

AS 2 23.11.20

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :– **भरतपुर जिले की 8 नगरीय निकायों के आम चुनाव नवम्बर–दिसम्बर, 2020– मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।**

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 23.11.2020 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 11.12.2020 को होगा। भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों की सूची एवं आम चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 11.12.2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करावें। यदि कहीं किसी कारण से पुर्नमतदान की स्थिति बनती है तो पुर्नमतदान के दिवस भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :– नगरनिकायों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांकः एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/Part III/570 दिनांकः 13/11/2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

SS GAD

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

20/11/2020

Yogita
24/11/2020

8 नगरपालिकाओं की सूची

क.सं.	नाम जिला	क.सं.	नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम	अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 के अनुसार वार्ड संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	भरतपुर	1.	बयाना	35
		2.	भुसावर	25
		3.	डीग	40
		4.	कामां	35
		5.	कुम्हेर	25
		6.	नदवई	35
		7.	नगर	35
		8.	वैर	25
			योग	255

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भरतपुर जिले की 08 नगर निकायों के आम चुनाव माह नवम्बर–दिसम्बर, 2020

चुनाव कार्यक्रम

➤ **सदस्य पद के लिए**

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	23.11.2020 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	27.11.2020 (शुक्रवार) प्रत्येक दिन प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	01.12.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	03.12.2020 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	04.12.2020 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि	11.12.2020 (शुक्रवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	13.12.2020 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

➤ **अध्यक्ष के लिए**

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	14.12.2020 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.12.2020 (मंगलवार) प्रत्येक दिन प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	16.12.2020 (बुधवार) प्रातः 10.30 से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	17.12.2020 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	17.12.2020 (गुरूवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	20.12.2020 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	20.12.2020 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ **उपाध्यक्ष के लिए**

1.	निर्वाचन की तिथि	21.12.2020 (सोमवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email: secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227071

क्रमांक: एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2020 / Part III/567 दिनांक 13/11/2020

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– भरतपुर जिले की 8 नगरीय निकायों के आम चुनाव नवम्बर–दिसम्बर, 2020 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 23.11.2020 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 11.12.2020 को होगा। भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों की सूची एवं आम चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग-7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्न : 1. चुनाव कार्यक्रम एवं नगरीय निकायों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
दिनांक 13/11/2020

क्रमांक: एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2020 / Part III/568
प्रतिलिपि: [illegible] (राजस्थान), जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[illegible]
उप सचिव